संख्या-4/2018/**1131/63-**व0उ0**-2018-155/(**एच)**/2017**

प्रेषक,

सुखलाल भारती,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर।
3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊः दिनांकः** 26 **जून**, 2018

विषय :- उत्तर प्रदेश् हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिंग पालिसी-**2017** के अन्तर्गत देय छूट हेतु स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-**05/2018/175/94-**स्टा0नि0**.2-2018-700(454)/2017** दिनांक **12** फरवरी **2018** के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रक्रिया/दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि वर्तमान में "उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेंन्टिग पालिसी-**2017**" निर्गत की गई है जिसके प्रस्तर **2.2** में राज्य में (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) **25** एकड़ अथवा अधिक भूमि पर टेक्सटाइल पार्कों/आस्थानों के विकासकर्ता को भूमि के क्रय पर **100** प्रतिश्त स्टाम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य होगी। इन टेक्सटाइल पार्कों/आस्थानों में प्रत्येक प्लाट/वस्त्र इकाई की स्थापना हेतु प्रथम क्रेता को **50** प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्राविधान है।

2- नीति के प्रस्तर **2.4** में स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री के विकासकर्ता को राज्य में (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) भूमि के क्रय पर **100** प्रतिश्त स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

3- प्रस्तर **3.1.1** में स्टाम्प ड्यूटी में छूट सम्बन्धी प्राविधान निम्नवत् हैं :-

(i) बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर जनपद को छोड़कर) में स्थापित होने वाले वस्त्रोद्योग इकाईयों को स्टाम्प शुल्क में **100** प्रतिशत तथा गौतमबुद्ध नगर जनपद में स्थापित होने वाले वस्त्रोद्योग इकाईयों को स्टाम्प शुल्क में **75** प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

(ii) राज्य के किसी भी भाग में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास (यथा-एकीकृत परिवहन व वाणिज्यिक केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, वेयरहाऊस, जल आपूर्ति, मल-जल निकासी, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट, एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना) हेतु भूमि के क्रय पर स्टाम्प शुल्क मे **100** प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(iii)राज्य के किसी भी भाग में रेशम चाकी/कोया उत्पादन/धागाकरण इकाईयों **100** प्रतिशत स्टाम्प डयूटी में छूट प्रदान की जायेगी।

4- उपरोक्त स्टाम्प शुल्क से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में स्टाम्प एवं रजिस्टेशन विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या-**05/2018/175/94-**स्टा0नि**0.2-2018-700(454) 2017** दिनांक **12** फरवरी **2018** निर्गत की गयी है।

5- स्टाम्प एवं रजिस्टेशन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-**05/2018/175/94-**स्टा0नि**0.2-2018-700(454) 2017** दिनांक **12** फरवरी **2018** के प्रस्तर-**3** में व्यवस्था की गयी हैं कि अधिसूचना के अधीन छूट तभी अनुमन्य होगी यदि सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट या उप आयुक्त**,** जिला उद्योग केन्द्र ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण**,** उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा हैं ।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-**05/2018/175/94-**स्टा0नि**0.2-2018-700(454) 2017** दिनांक **12** फरवरी **2018** में वर्णित किसी प्रयोजन हेतु यदि विकासकर्ता/इकाई भूमि क्रय करती है अथवा पटटे पर प्राप्त करती हैं तो विक्रय/पट्टा विलेख के निबन्धन पर लागू स्टाम्प षुल्क से छूट का लाभ लेने हेतु निम्नांकित दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकती है :-

(i) अनुमन्य प्रयोजन हेतु विकासकर्ता/इकाई विक्रय/पट्टा विलेख पर नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान करके विलेख का निबन्धन कर सकती हैं यदि विलेख के निबन्धन की तिथि से निर्धारित अवधि में वस्त्र औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो अथवा वस्त्र पार्को/औद्योगिक आस्थानों के विकास की दशा में इकाई द्वारा प्रयोजन की पूर्ति कर ली गई हो तो भुगतान किये गए स्टाम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति (**Reimbursement**) हेतु सम्बन्धित परिक्षेत्र के परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को आवेदन करेगी। परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त**,** हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग प्रयोजन की पूर्ति का भौतिक सत्यापन कर अपनी संस्तुति सहित वांछित धनराशि हेतु मांग पत्र आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को प्रेषित करेंगे। आयुक्त एवं निदेशक**,** हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग समेकित मांग शासन के हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को प्रेशित करेंगे। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग परीक्षणोपरान्त बजट के माध्यम से वांछित धनराशि आयुक्त एवं निदेशक**,** हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को आवन्टित करेंगे। आयुक्त एवं निदेशक**,** हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग द्वारा वांछित धनराशि प्राप्त होने पर सम्बन्धित विकासकर्ता/वस्त्र इकाईयों द्वारा भुगतान की गई स्टाम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि का भुगतान सीधे विकासकर्ता/वस्त्र इकाई के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जायेगा।

(ii) विकासकर्ता/इकाई विक्रय/पट्टा विलेख पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना दिनांक **12** फरवरी **2018** के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क से छुट प्राप्त करते हुए विलेख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का निबंधन करा सकती है । इस हेतु स्टाम्प शुल्क से छुट दिये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

(क) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-**05/2018/175/ 94-**स्टा**0**नि**0.2-2018-700(454) 2017** दिनांक **12** फरवरी **2018** में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं हेतु यदि विकासकर्ता/इकाई द्वारा केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम**,** परिषद**,** कम्पनी**,** संस्था से भूमि अथवा शेड क्रय/लीज पर प्राप्त किया जाना है तो सम्बन्धित केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम**,** परिषद**,** कम्पनी या संस्था प्रमाणीकरण संस्था होगी।

(ख)स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-**05/2018/175/94-**स्टा**0**नि**0.2-2018-700(454) 2017** दिनांक **12** फरवरी **2018** में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं हेतु यदि विकासकर्ता/इकाई द्वारा भूमि निजी श्रोत से प्राप्त की जा रही है तो उ**0**प्र**0** राज्य औद्योगिक विकास निगम लि**0** प्रमाणीकरण संस्था होगी।

(ग)छूट प्राप्त करने हेतु विकासकर्ता/इकाई द्वारा प्रस्ताव प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित प्रमाणीकरण संस्था को प्रस्तुत किया जाएगा। इकाइ द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भूमि की आवश्यकता व परियोजना की प्रकृति के अनुसार मानक का परीक्षण करते हुए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक "क"**)** पर प्रमाण पत्र सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त**,** जिला उद्योग केन्द्र या सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को प्रेषित किया जायेगा।

(घ)विकासकर्ता/इकाई द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के साथ एक अनुबन्ध (संलग्नक "ख"**)** किया जायेगा**,** जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख एवं निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा वस्त्र औद्योगिक पार्कों/आस्थानों के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/वस्त्र इकाई की दशा मे वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने की वचनबद्धता होगी और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टाम्प ड्यूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारन्टी को निबन्धन विभाग द्वारा अपने पक्ष में भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की शर्त का अनिवार्य रूप से उल्लेख होगा।

(च)विकासकर्ता/इकाई विक्रय/पट्टा विलेख**,** प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्गत पत्र तथा अनुबन्ध पत्र के साथ महानिरीक्षक**,** निबन्धन**,** उ**0**प्र**0** के पक्ष में निर्धारित अवधि के लिये स्टाम्प शुल्क से छूट के समतुल्य धनराशि की **irrevocable** बैंक गारंटी भी उप आयुक्त**,** जिला उद्योग केन्द्र या परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को उपलब्ध करायेगी। तत्पश्चात् उप आयुक्त जिला उद्योग केन्द्र या परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विलेख पर साक्षी के रूप मे इस तथ्य की पुष्टि के प्रयोजन के लिए हस्ताक्षर करेंगे कि अन्तरण उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा हैं तथा विलेख व बैंक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गारंटी **07** कार्य दिवस के अन्दर सम्बन्धित उप निबन्धक, निबंधन को विक्रय/पट्टा विलेख के निबंधन हेतु भेज देंगे।

(छ)वस्त्र औद्योगिक इकाई के वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ होने अथवा वस्त्र औद्योगिक पार्कों/आस्थानों के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/वस्त्र इकाईयों की दशा में प्रयोजन की पूर्ति होने पर विकासकर्ता/वस्त्र इकाई द्वारा परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के माध्यम से महानिरीक्षक, निबन्धन को बैंक गारन्टी वापस करने हेतु आवेदन पत्र दिया जायेगा। परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग प्रयोजन की पूर्ति अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने का भौतिक सत्यापन करते हुए आवेदन प्राप्ति के **15** कार्य दिवस के अन्दर इकाई का आवेदन पत्र एक प्रमाण पत्र (संलग्नक "ग**")** के साथ महानिरीक्षक, निबन्धन को प्रेशित किया जाएगा। महानिरीक्षक, निबंधन द्वारा आवेदन पत्र तथा परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के **07** कार्य दिवस दिन के अंदर बैंक गारन्टी वापस करने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

(ज)निबंधन के पश्चात उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र या परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निर्धारित अवधि में इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने अथवा वस्त्र औद्यौगिक पार्को/आस्थानों के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/वस्त्र इकाईयों की दशा में निर्धारित अवधि में प्रयोजन की पूर्ति न होने की स्थिति में **30** दिन के अन्दर इसकी सूचना महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे तथा महानिरीक्षक, निबन्धन बैंक गारंटी को भुनाकर धनराशि को निबंधन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ताकि छूट का किसी प्रकार दुरूपयोग न होने पाये।

7- स्टाम्प ड्यटी में छूट हेतु निर्धारित भूमि के अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल के मापदण्ड निम्नवत है :-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	भूमि की अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल
1.	वस्त्र औद्योगिक इकाईयाँ जिन्हें इन्फ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लान्ट की आवश्यकता नहीं है।	फैक्टरी भवन एवं अनुशांगिक **(AUXILIARY)** सुविधाओं हेतु आच्छादित क्षेत्रफल का **250** प्रतिशत।
2.	वस्त्र औद्योगिक इकाईयाँ जिन्हें इन्फ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लान्ट की आवश्यकता है।	फैक्टरी भवन एवं अनुशांगिक **(AUXILIARY)** सुविधाओं हेतु आच्छादित क्षेत्रफल का **275** प्रतिशत।

(i) स्टाम्प शुल्क में छूट हेतु आवेदक अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल से अधिक भूमि क्रय करता है तो उसे केवल अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल पर ही स्टाम्प शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा ।

(ii) वस्त्र पार्को/वस्त्र औद्योगिक आस्थानों के विकास के लिए न्यूनतम अनुमन्यता **25** एकड़ होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- वस्त्र औद्योगिक इकाईयों में संदर्भ में उत्पादन प्रारम्भ करने की निर्धारित अवधि/समय सीमा भूमि के विक्रय/ पट्टा विलेख के निबन्धन की तिथि से अधिकतम **5** वर्ष होगी।

9- उपरोक्त दिशा-निर्देश/प्रक्रिया के निर्धारण संबंधी व्यवस्थाएं तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी। इस संबंध में समय-समय पर पूर्व में निर्गत कार्यकारी आदेश/शासनादेश एतद्द्वारा निरस्त किये जाते है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(सुखलाल भारती)
विशेष सचिव।

संख्या-4/2018/**1131(1)/63-**व**0**उ**0-2018** तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्यतीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ**0**प्र**0** शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ**0**प्र**0** शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू**0** पी**0** एस**0** आई**0** डी**0** सी**0**, कानपुर ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ**0**प्र**0** वित्तीय निगम, कानपुर।
7. आयुक्त स्टाम्प/महानिदेशक निबंधक, उत्तर प्रदेश।
8. अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/गीडा/बीडा/सीडा/लीडा।
10. स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-**05/2018/175/94-**स्टा**0**नि**0.2-2018-700(454) 2017** दिनांक **12** फरवरी **2018** के क्रम में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित करने के अनुरोध सहित प्रेषित ।
11. समस्त परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग।
12. समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(सुखलाल भारती)
विशेश सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-क

"उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिंग पॉलिसी-2017" के अन्तर्गत विकासकर्ता/ इकाई द्वारा स्टैम्प षुल्क से छूट हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर प्रमाणीकरण संस्था का प्रमाण पत्र

1. विकासकर्ता /इकाई का नाम.....

2. विकासकर्ता /इकाई का पता

.....

.....

.....

3. विकासकर्ता/इकाई का स्वरूप (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/कॉरपोरेशन/लिमिटेड कम्पनी/ को-आपरेटिव सोसाइटी/स्थानीय निकाय/राजकीय विभाग) .....

4. पैन नम्बर .....

5. विकासकर्ता/इकाई के स्वामी/प्रर्वतक/साझेदारों/निदेशकों के नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण (निवास के प्रमाण सहित)

नाम
पता
आधार संख्या
दूरभाश संख्या
फैक्स संख्या
मोबाईल संख्या
ई-मेल
बेवसाइट

6. उद्यम पंजीकरण का विवरण- संख्या
दिनांक

(साक्ष्य के रूप में पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करें)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. पंजीकृत उत्पाद एवं क्षमता

.....

8. भूमि अथवा शेड क्रय/लीज पर प्राप्त करने का प्रयोजन

.....

.....

9. वस्त्र औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तिथि अथवा वस्त्र पार्को/ वस्त्र औद्योगिक आस्थानों के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/इकाईयों की दशा में प्रयोजन की पूर्ति होने की प्रस्तावित तिथि .....

10. केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था का नाम, जहाँ से भूमि अथवा शेड क्रय/ लीज पर प्राप्त किया गया है ।

.....

.....

11. वित्तीय संस्था का नाम जहाँ से ऋण प्राप्त किया गया हो/जा रहा हो।

.....

12. वित्तीय संस्था का नाम स्वीकृत ऋण की धनराशि व दिनांक

.....

.....

(साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें)

13. स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने वाली धनराशि (रू0)

.....

14. यदि वस्त्र इकाई द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था/निजी स्रोत से भी भूमि अथवा शेड क्रय/ लीज पर प्राप्त किया गया हैं तो उसका सम्पूर्ण विवरण
(साक्ष्य के रूप में संस्था द्वारा जारी प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें)

.....

.....

.....

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15. स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु भूमि अथवा शेड विवरण

क्र0सं0	भूमि अथवा शेड का विवरण (खसरा)	क्षेत्रफल एकड़ में एवं दर	भूमि अथवा शेड का कुल मूल्य
1.			
2.			
3.			
	कुल योग		

प्रमाणित किया जाता हैं कि विकासकर्ता/वस्त्र इकाई द्वारा दिये गये संलग्न अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों का उल्लेख करते हुए विक्रय/पट्टा विलेख के निबन्धन की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा वस्त्र पार्को/वस्त्र औद्योगिक आस्थानों के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/वस्त्र इकाईयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने का आश्वासन दिया गया है और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टैम्प ड्यूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैक गारंटी को निबन्धन विभाग द्वारा भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की बाध्यता का भी उल्लेख किया गया है ।

विकासकर्ता/वस्त्र इकाई के सन्दर्भ में दी गयी सूचना व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है तथा समस्त अंकित विवरण सत्य हैं जिसके आधार पर स्टैम्प ड्यूटी में देय कुल रू0.....की छूट दिये जाने की अनुशंसा की जा रही हैं।

अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक :-
स्थान :-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-ख

DRAFT AGREEMENT

(On Non Judicial Stamp Paper of Rs.100/-)

This agreement made on this_____ day of_____in the year_____at ---------- between M/s ----------, a firm/a company/a society incorporated and registered under the Company Act 1956 (1 of 1956)/ Society registration Act 1860/ Indian Partnership Act- 1860 and heaving its registered office at ---------- (herein after called "the Allottee" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof include its successors and assigns) through Shri ----------Owner/Directors, authorized by the Board of Directors of the company/society vide resolution passed in this behalf on ---------- of the One Part;

And the ---------- a statutory body established under the ---------- Act heaving its head office at ----------, (herein after called "the Certifying Agency" which expression shall include the Chairman/Managing Director or any authorized by the Board of Director) of the Other Part;

WHEREAS:

1- The Government of Uttar Pradesh (Hereinafter called "the state government") has framed a scheme to remit stamp duty to the extent shown in column 3 of the schedule specified in the notification no. ----------, dated ---------- for purpose specified in column 2 , chargeable in respect of the instruments as shown in column 4 of the said schedule for the purpose provided in paragraph 3.2, 3.4, 5.1, and 12.3.1 of the U.P. Textile and Garmenting Policy 2017, of the State as mentioned in column 2 of the said schedule to setup a new textile industrial unit or an unit making expansion or diversification thereof.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- The certifying agency has been appointed by the State Government for operating this scheme.

3- The Allottee has applied for purchase or lease of land or shed for the purpose specified as ---------- (to established a new textile industrial unit or making expansion or diversification of an unit or for the development of Textile Park/Industrial Estate in the state) as specified in their project report.

4- The total requirement of land or shed for the purpose specified as ---------- ---------- is ---------- and has been allotted ---------- acres of land for which exemption of stamp duty of Rs.- ---------- required/applied for.

5- That the Allottee has applied for the stamp duty exemption of Rs. ----------, under the scheme vide his application dated ---------- enclosing project report.

6- That the certifying agency, after considering the application and records provided by the Allottee and examining the requirement of land for the purpose specified, is ready to certify and execute the agreement.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH

1- In pursuance of the said Agreement, Certifying Agency, the Allottee, hereby covenants :-

A. That the Allottee, in case of an industrial unit, will start commercial production, and in case unit is established for any other specified pupose mentioned in the Uttar Pradesh Handloom Powerloom, Silk, Textile and Garmenting Policy, fulfills the said purpose within 5 years from the date of execution of the instruments of sale/lease-deed by the sub-registrar of registration department.

B. That the Allottee will provide an irrevocable Bank Guaranttee in favour of Inspector General, Stamp & Registration, U.P. for an amount equal to the amount of exemption from Stamp Duty.

C. That the Allottee will comply with, and faithfull observed all the rules and regulations, relating to the above said scheme, and also all subsequent amendments and additions, as may be inserted by the Order of the State Government.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

D. That the Allottee will allow the Officers of the Certifying Agency or concerned General Manager of District Industries Centre or by the State Government to inspect the progress of the unit.

2- It is further hereby agreed & declared by, and between the parties hereto that in any of following cases namely;

a. Where the Allottee fails to furnish the prescribed statement and/or information which is called upon to furnish, or

b. Where the Allottee has obtained the stamp duty exemption by misrepresentation or by furnishing of false information, or

c. Where the industrial unit does not commence commercial or fulfills the purpose for which exemption from stamp duty was granted, within 5 years from the date of Registration of Instruments.

d. If the Allottee misutilized the exemption from stamp duty, by violating purpose specified in the Project-Report.

The Inspector General, Stamp & Registration or State Government shall have the right to incash the bank-guarantee and deposit the amount in the suitable head of the Stamp & Registration department.

3- It is hereby further agreed and declared that the expenses incurred on execution of these presents shall be paid and borne by the Allottee.

4- All the disputes shall be subject to the Jurisdiction of Court's at ----------.

5- The Allottee, hereby further declares, undertake and confirm that the above information is true to best of my knowledge and belief.

In Witness whereof the Allottee, Namely ---------- has/have set his/their hand(s) to do this Agreement on the day, month and in the year above mentioned.

Allottee

For M/s ----------

( )

( )

Witness

1-

2-

Certifying Agency

For …….

( )

( )

Common seal of M/s----------

Affixed in my/our presence

( )

( )

AFFIXED IN MY/OUR PRESENCE

(Stamp & Signature with Date of Oath Commr.)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक -ग

"उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिंग पॉलिसी-2017" के अन्तर्गत विकासकर्ता /इकाइ द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट हेतु रखी गयी बैंक गारन्टी को अवमुक्त करने हेतु परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

1. विकासकर्ता/इकाई का नाम

.....

.....

2. विकासकर्ता /इकाई का पता

.....

.....

3. प्राप्त किये गये भूमि अथवा शेड क्रय/लीज का प्रयोजन

.....

.....

4. वस्त्र औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि अथवा वस्त्र पार्को/वस्त्र औद्योगिक आस्थानों के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/इकाईयो की दशा मे प्रयोजन की पूर्ति होने की तिथि

.....

5. जमा किये गये बैंक गारण्टी का विवरण तिथि सहित

.....

6. स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी धनराशि का विवरण

.....

7. स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी भूमि अथवा शेड का विवरण

क्र.सं.	भूमि अथवा शेड का विवरण (खसरा)	क्षेत्रफल एकड़ में	भूमि अथवा शेड का कुल क्षेत्रफल जो निहित उद्देश्य से आच्छादित हैं
1.			
2.			
3.			
	कुल योग		

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रमाणित किया जाता है कि विकासकर्ता/इकाई द्वारा उपरोक्तानुसार औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक..... को प्रारम्भ कर दिया गया है अथवा वस्त्र पार्कों/औद्योगिक आस्थानों के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/इकाईयों की दशा में प्रयोजन की पूर्ति होने की प्रस्तावित तिथि को प्रयोजन की पूर्ति दिनांक .....की जा चुकी है। उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी भूमि अथवा शेड का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त विकासकर्ता/इकाई के द्वारा जमा किये गये बैंक गारण्टी को इकाई को वापस किये जाने की संस्तुति की जाती है।

विकासकर्ता/इकाई के सन्दर्भ में दी गयी सूचना अनुबन्ध व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है तथा समस्त अंकित विवरण सत्य हैं, जिसके आधार पर स्टैम्प ड्यूटी में देय कुल रू0.....की छूट हेतु जमा की गयी बैंक गारण्टी वापस किये जाने की अनुशंसा की जा रही है।

अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील,

सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,

परिक्षेत्र .....

दिनांक :-

स्थान :-

1. उप निबन्धक, निबंधन .....

2. महानिरीक्षक ,निबन्धन ,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3. आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उ0 प्र0 कानपुर।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।